संख्या– 554 /नौ–1–सिं0 (55 बजट/03)/2004

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक, 10 फरवरी, 2004

विषयः– जिला योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु पुनर्विनियोग द्वारा आबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 4184/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 दिनांक 29.11.2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**जनपद देहरादून के विकासनगर विकास खण्ड के अन्तर्गत पृथ्वीपुर नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण**" कार्य हेतु रू0 511.64 लाख के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 560.80 लाख के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस हेतु संलग्न बी0एम0–15 पर अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतो से व्यावर्तन द्वारा रू0 507.80 लाख (रूपये पॉच करोड़ सात लाख अस्सी हजार मात्र) की ही धनराशि के व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्गित रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्ती हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज, रूल्स, टेडर/कुटेशन विषयक नियम मितव्ययता के विषय में शासनादेश तथा शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर जारी किये गये अन्य आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय, उक्त दायित्व मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग का ही होगा।

क्रमश.....2

6— स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार ही किस्तों में आहरण किया जायेगा।

7— कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। कार्य यथासम्भव यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003—04 मे अनुदान सं0—20 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4701—मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय 01—मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक आयोजनागत —142—सिंचाई नहरें अन्य योजनाये (जिला योजना) 91—निर्माणाधीन सिंचाई नहरे/अन्य योजनायें—00—24—बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—2824/वि0 अनु0 —3/2004 दिनांक, 10 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः—यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या 554 /नौ—1—सिं0 (55 बजट/03)/2004/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2— वित्त विभाग (वित्त अनुभाग—3), उत्तरांचल शासन।
3— श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6— निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एवं लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8— कोषाधिकारी/जिलाधिकारी देहरादून, उत्तरांचल।
9— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल हेतु।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।